रविशंकर पाण्डेय को प्राध्यापक-संस्कृत विद्या विभाग, के पद पर नियुक्त करते हुए उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किया जाये तथा डा. पाण्डेय को नियमानुसार वेतन एवं अन्य भत्ते प्रतिमाह भुगतान किया जाये। साथ ही परिषद् ने यह भी निर्देश दिया कि डा.पाण्डेय की यह नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित याचिका सं.37995/2012 के अन्तिम आदेश के अधीन होगी। डा.पाण्डेय को यह भी निर्देशित किया जाय कि वे एक सप्ताह के अन्दर कार्यभार ग्रहण कर ले।

साथ ही कार्यपरिषद् ने यह निर्देश दिया कि माननीय उच्च न्यायालय को कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 24.03.2014 के निर्णय की भावना से अवगत कराया जाय।

कार्यक्रम बिन्दु -2- कुलपति की नियुक्ति के सन्दर्भ में उत्तर-प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा-12 की उपधारा (1) के अन्तर्गत गठित होने वाली समिति में धारा 12(2)(क) के अन्तर्गत एक सदस्य के निर्वाचन पर विचार।

स्थगित

अंत में अध्यक्ष ने सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सभा विसर्जन की घोषणा की।

कुलसचिव
सं०सं०वि०वि०,वाराणसी

9/4/2014

09.04.14
DR(A)

Reg. 9/04/14

09.4.14
PVC